कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: प्रारंभिक अधिसूचना ::

7329 धमतरी, दिनांक 14.08.2020

प्रकरण कमांक 01 / अ–82 / 2018–19 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (7) मे दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थपन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् व्दारा अनुसूची के कॉलम 6 में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

:: अनुसूची ::

भूमि का विवरण					धारा 12 व्दारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह. नं.	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
1	2	3	4	5	6	7
धमतरी	नगरी	साल्हेभाठ प.ह.नं. 02	82,	88,	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू–अर्जन अधिकारी नगरी जिला धमतरी	नवापारा–बुढेनी–परसवानी–मगरलोड–मोंहदी–बोरसी–मोयना मार्ग चौड़ीकरण योजना
			83,	104,		
			81,	120,		
			84,	96,		
			88,	387.50,		
			95,	234,		
			633,	100,		
			816,	56,		
			85,	400,		
			283,	15,		
			308,	60,		
			547,	04,		
			282,	138,		
			304,	48,		
			543,	32,		
			544,	32,		
			303,	119,		
			862,	24,		
			746,	63,		
			310,	140,		
			738,	59.50,		
			745,	63,		
			758,	96,		
			741,	168,		
			739,	217.50,		
			744,	85.50,		
			737,	97.50,		
			807,	75,		
			733,	180,		
			811,	108.50,		
			731,	108.50,		
			806,	90,		
			635,	156,		

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
नगरी, जिला-धमतरी (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

			815,	102,		
			632,	60,		
			818,	55.50,		
			631,	38,		
			817,	04,		
			546,	60,		
			860,	114,		
			545,	45,		
			542,	96,		
			866,	24,		
			861,	35,		
			859,	42.50,		
			747,	203,		
			743,	272,		
			306 / 2,	88,		
			924,	95,		
			925,	48,		
			926,	44,		
			928,	18,		
			937 / 2,	44,		
			937 / 3,	64,		
			937 / 1,	72,		
			962,	78,		
			951,	52,		
			952,	112,		
			955,	92,		
			1012,	28,		
			89,	04,		
			748	04		
		योगः–	62	5759 वर्गमीटर		

2– यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित मे कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने व्दारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1)के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नगरी के कार्यालय मे किया जा सकता है।

4– प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नही है।

5– प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6– प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी जिला धमतरी को पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

(सुनील कुमार शेर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं
भू–अर्जन अधिकारी
नगरी, जिला–धमतरी (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जय प्रकाश मौर्य)
कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

3131

D:\Steno\T.R Letter 2011-12.doc

Scanned by TapScanner